



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 532]
No. 532]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 22, 2008/वैशाख 2, 1930
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 22, 2008/VAISAKHA 2, 1930

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2008

का.आ. 906(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 मई, 2008 को उस तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसको और जिससे ही उक्त अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (3) के उपबंध, नीचे उल्लिखित उन संगठनों को, जो सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सोसाइटियां और कानूनी संगठन हैं, लागू होंगे और कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) भारत सरकार की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 730(अ), तारीख 2 मई, 1986 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम संख्यांक 103 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी, अर्थात् :-

क्रम सं.	निगम/सोसाइटी/अन्य प्राधिकरण का नाम	दर्जा
(1)	(2)	(3)
104	केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसंधान परिषद्	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत अधिनियम के सोसाइटी पंजीकरण अंतर्गत गठित स्वायत्त निकाय
105	केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद्	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय
106	केन्द्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद्	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय
107	केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद्	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय
108	केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद्	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय
109	केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत सांविधिक निकाय

(1)	(2)	(3)
110	राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय
111	मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, नई दिल्ली	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय
112	राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, पुणे	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय
113	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय
114	राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान, बैंगलूर	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय
115	राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कोलकाता	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय
116	राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय
117	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली	नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय
118	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान	वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय
119	केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड	वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय
120	जूट डायवरसिफिकेशन केन्द्र	वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय
121	केन्द्रीय रेशम बोर्ड	वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत सांविधिक बोर्ड
122	भुगतान आयुक्त का कार्यालय	वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत अर्द्ध-न्यायिक निकाय
123	वस्त्र समिति	वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय
124	जूट उत्पादक विकास परिषद्	वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत सांविधिक निकाय
125	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय
126	राष्ट्रीय सीमेन्ट और निर्माण सामग्री परिषद्, बल्लबगढ़	स्वायत्त निकाय
127	भारतीय रबड़ निर्माता अनुसंधान संघ, थाणे	वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के तहत सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत
128	केन्द्रीय पल्प एण्ड पेपर रिसर्च संस्थान, सहारनपुर	वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त संगठन
129	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्, नई दिल्ली	वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय
130	भारतीय गुणवत्ता परिषद्	वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय
131	राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान	महिला और बाल कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय
132	सेन्ट्रल एडोपशन रिसोर्स अथॉरिटी	महिला और बाल कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय
133	भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्	विदेश मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय
134	भारतीय जनसंचार संस्थान	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय
135	प्रेस काउंसिल ऑफ इण्डिया	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत सांविधिक प्राधिकरण

(1)	(2)	(3)
136	भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय
137	राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंध संस्थान	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय ।"

[फा.सं. 13030/2/2008-एटी]

डॉ. एस. के. सरकार, संयुक्त सचिव

टिप्पणः—मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 730(अ), तारीख 2 मई, 1986 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् उसमें निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधन किए गए :—

- | | |
|--|--|
| (1) 2(अ), तारीख 31 अक्टूबर, 1986 | (6) सा.का.नि. 8(अ), तारीख 4 जनवरी, 2002 |
| (2) सा.का.नि. 84(अ), तारीख 6 फरवरी, 1987 | (7) सा.का.नि. 499(अ), तारीख 23 अगस्त, 2006 |
| (3) सा.का.नि. 409(अ), तारीख 20 अप्रैल, 1987 | (8) का.आ. 1228(अ), तारीख 25 जुलाई, 2007 |
| (4) सा.का.नि. 542(अ), तारीख 11 जुलाई, 1995 | (9) का.आ. 1823(अ), तारीख 25 अक्टूबर, 2007 |
| (5) सा.का.नि. 748(अ), तारीख 17 दिसम्बर, 1998 | |

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd April, 2008

S.O. 906(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 14 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby specifies the 1st day of May, 2008 as the date on and from which the provisions of sub-section (3) of Section 14 of the said Act shall apply to the organisations mentioned below, being the societies and statutory organisations owned or controlled by the Government and makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) number G.S.R. 730(E), dated the 2nd May, 1986, namely :—

In the Schedule to the said notification, after serial number 103 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be added, namely :—

Sl. No.	Name of the Corporation/Society/Other Authority	Status
(1)	(2)	(3)
104	Central Council for Research in Ayurveda and Siddha	Autonomous body constituted under Societies Registration Act under the Ministry of Health and Family Welfare.
105	Central Council for Research in Homoeopathy	Autonomous body under the Ministry of Health and Family Welfare.
106	Central Council for Research in Yoga and Naturopathy	Autonomous body under the Ministry of Health and Family Welfare.
107	Central Council for Research in Unani Medicine	Autonomous body under the Ministry of Health and Family Welfare.
108	Central Council of Indian Medicine	Autonomous body under the Ministry of Health and Family Welfare.
109	Central Council of Homoeopathy	Statutory body under the Ministry of Health and Family Welfare.
110	Rashtriya Ayurved Vidyapeeth	Autonomous body under the Ministry of Health and Family Welfare.
111	Morarji Desai National Institute of Yoga, New Delhi	Autonomous body under the Ministry of Health and Family Welfare.
112	National Institute of Naturopathy, Pune	Autonomous body under the Ministry of Health and Family Welfare.
113	National Institute of Ayurveda, Jaipur	Autonomous body under the Ministry of Health and Family Welfare.
114	National Institute of Unani Medicine, Bangalore	Autonomous body under the Ministry of Health and Family Welfare.
115	National Institute of Homoeopathy, Kolkata	Autonomous body under the Ministry of Health and Family Welfare.

(1)	(2)	(3)
116	National Institute of Siddha, Chennai	Autonomous body under the Ministry of Health and Family Welfare.
117	Indira Gandhi Rashtriya Udaan Academy, Rae Bareli	Autonomous body under the Ministry of Civil Aviation.
118	National Institute of Fashion Technology	Autonomous body under the Ministry of Textiles.
119	Central Wool Development Board	Autonomous body under the Ministry of Textiles.
120	National Centre for Jute Diversification (NCJD)	Autonomous body under the Ministry of Textiles.
121	Central Silk Board	Statutory body under the Ministry of Textiles.
122	Office of Commissioner of Payments, New Delhi	Quasi-Judicial body under the Ministry of Textiles.
123	Textiles Committee	Autonomous Statutory body under the Ministry of Textiles.
124	Jute Manufacturers Development Council	Statutory body under the Ministry of Textiles.
125	National Institute of Design, Ahmedabad	Autonomous body under the Ministry of Commerce and Industry.
126	National Council for Cement and Building Materials, Ballabgarh	Autonomous body.
127	Indian Rubber Manufacturers Research Association, Thane	Registered under the Societies Registration Act under the Ministry of Commerce and Industry.
128	Central Pulp and Paper Research Institute, Saharanpur	Autonomous Organisation under the Ministry of Commerce and Industry.
129	National Productivity Council, New Delhi	Autonomous body under the Ministry of Commerce and Industry.
130	Quality Council of India	Autonomous body under the Ministry of Commerce and Industry.
131	National Institute of Public Cooperation and Child Development	Autonomous body under the Ministry of Women and Child Development.
132	Central Adoption Resource Authority	Autonomous body under the Ministry of Women and Child Development.
133	Indian Council for Cultural Relations (ICCR)	Autonomous body under the Ministry of External Affairs.
134	Indian Institute of Mass Communication	Autonomous body under the Ministry of Information and Broadcasting.
135	Press Council of India	Statutory authority under the Ministry of Information and Broadcasting.
136	Children's Film Society of India	Autonomous body under the Ministry of Information and Broadcasting.
137	National Institute of Financial Management	Autonomous body under the Ministry of Information and Broadcasting".

[F. No. P-13030/2/2008-AT]
Dr. S. K. SARKAR, Jt. Secy.

Note :—The Principal notification was published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 730(E), dated the 2nd May, 1986 and subsequently amended *vide* the following notifications numbers :—

- | | |
|--|--|
| (1) G.S.R. 1172(E), dated the 31st October, 1986 | (6) G.S.R. 8(E), dated the 4th January, 2002 |
| (2) G.S.R. 84(E), dated the 6th February, 1987 | (7) G.S.R. 499(E), dated the 23rd August, 2006 |
| (3) G.S.R. 409(E), dated the 20th April, 1987 | (8) S.O. 1228(E), dated the 25th July, 2007 |
| (4) G.S.R. 542(E), dated the 11th July, 1995 | (9) S.O. 1823(E), dated the 25th October, 2007 |
| (5) G.S.R. 748(E), dated the 17th December, 1998 | |